2025/58

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2025 (राजसमन्द आर्डर)

विनोद कुमार सिंगोलिया पिता रमेशचन्द्र सिंगोलिया, निवासी आई.डी.बी. आई बैंक के पास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. जगदीशचन्द्र पिता कजोड सिंगोलिया, निवासी चांदपोल बाहर, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. नगर परिषद राजसमन्द जरिये आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
आदेश उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 28.02.2025 प्रकरण संख्या
168/2024 प्रार्थना पत्र

———::———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 30–04–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम किशोरनगर में आराजी नम्बर 25 रकबा 0.0647 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 26 रकबा 0.2266 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के सहखातेदारी की होकर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 ने बाला–बाला दिनांक 25.10.2024 से निर्माण कार्य करने पर आतुर है तथा मना करने पर लड़ाई झगड़ा करते है। अतः प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

2. उक्त प्रार्थना पत्र का विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व विपक्षी के मध्य आपसी पारिवारिक समझौता हुआ था उसी समझौते के आधार पर सभी भाईयों ने बटवाडा कर लिया व बटवाडे अनुसार अपने–अपने हिस्से पर निर्माण कर रखा है तथा आगे के हिससे में कॉमर्शियल व पीछे जमीनें है एवं 20 फीट का रास्ता छुटा हुआ है तथा मौजूदा अपीलान्ट ने केवलमात्र दो ही आराजी का दावा किया है अन्य आराजीयात के सम्बन्ध में उसने दावा नहीं किया है तथा सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.02.2025 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 05.03.2025 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस किये गये, जिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से बिना विभाजन कराये किसी विशिष्ट हिस्से पर किसी सहखातेदार द्वारा निर्माण नहीं कराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय में विपक्षी संख्या 1 ने पारिवारिक समझौता सभी सहखातेदारों के मध्य होना बताया है, परन्तु उस समझौते पर अपीलान्ट व उसके पिता रमेश चन्द के हस्ताक्षर नहीं है, न ही रेस्पोडेन्ट जगदीश के हस्ताक्षर है तथा अन्य खातेदारों के भी हस्ताक्षर उक्त समझौते पर नही है। ऐसे पारिवारिक समझौते का कानूनन कोई महत्व नहीं है। इस प्रकरण में आज दिन तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, जमीन संयुक्त खातेदारी की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.02.2025 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरे आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 516, आर.बी.जे. (9) 2002 पेज 47, 2010 (1) सी.टी. (एस.सी.) पेज 330, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 446 प्रस्तुत की।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य पारिवारिक बंटवारा होकर पक्षकारान उसी अनुसार काबिज करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से की जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है तथा अपील खारिज की जावे।

7. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जबकि अपीलाधीन विवादित भूमियों बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का एक अन्य प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में सुरेश चन्द्र बनाम जगदीशचन्द्र प्रस्तुत हुआ है, जिसके प्रकरण संख्या 31/2025 होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं विवादित भूमियों बाबत् सुरेश चन्द्र का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरोधाभाषी है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय विरोधाभाषी होने से अपास्त् योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ निर्णय दिनांक 28.02.2025 अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

30.4.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर